न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/टीए/2005/503/सवाई माधोपुर

1. लल्लूराम पुत्र जयलाल,
2. घमंडी पुत्र जयलाल ,
3. सोमोत्या पुत्र जयलाल,
4. रमेशचन्द पुत्र जयलाल,
5. जगमोहन पुत्र जयलाल,
6. किशनलाल पुत्र भोरया,
7. पुखराज पुत्र हरलाल,
8. जनकराज पुत्र हरलाल,
9. जगदीश पुत्र हरलाल,
10. हुकम पुत्र भोरिया,
11. बदरी पुत्र रामफूल,
12. मूड्या पुत्र रामपूल,
    समस्त निवासी डिबस्या, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर।
13. मोत्या पुत्री हरलाल पत्नी बाबूलाल,
    निवासी ककराला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर।
14. मूडी पुत्री हरलाल पत्नी रामेश्वर,
    निवासी डौब, तहसील गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर।
15. केशवन्ती पुत्री हरलाल पत्नी हरिचरण,
    निवासी कोयला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर।
16. गुलबी बेवा हरलाल,
    निवासी डिबस्या, तहसील गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर।

...**प्रार्थीगण**

बनाम

1. मिश्री पुत्री ख्याली बेवा किशोरी,
   निवासी सेवा, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर।
2. राजस्थान सरकार। ...**अप्रार्थीगण**

एकल पीठ
श्री टीकम चन्द बोहरा, सदस्य

उपस्थितः–

1. श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. श्री रामरघुनाथ, अभिभाषक अप्रार्थिया।

दिनांक : 13.03.2026

निर्णय

1. प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

(जिसे आगे **"अपील न्यायालय"** लिखा जाएगा) द्वारा प्रकरण संख्या–25/2003 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. निगरानी प्रार्थना–पत्र के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने उपखंड अधिकारी, गंगापुरसिटी (जिसे आगे **"विचारण न्यायालय"** लिखा जाएगा) के समक्ष ग्राम डिबस्या, तहसील गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर की कुल आराजी खसरा नंबर–40 लगायत 57, 422 लगायत 425, 626, 677 लगायत 679, 727, 729, 889 लगायत 891, 1193 लगायत 1201, 1386, 1602 लगायत 1604, 1613, 1658, 1659, 464/1783, 421/1749, 1601 कुल किता 49 कुल रकबा 11.26 हैक्टेयर बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया। उक्त भूमि श्रीनारायण पुत्र ख्याली की खातेदारी थी, परन्तु वादग्रस्त भूमि पर पिछले 56 वर्षों से वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं वादीगण ही राजस्व लगान अदा करते आ रहे हैं। जमाबंदी में कुछ खातेदारी भूमि (खसरा नम्बर 421/1749 व 1601) रहन दर्ज थी, जिसे वादीगण ने छुड़ा लिया है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में रहन का इन्द्राज अब भी बना हुआ है। श्रीनारायण की मृत्यु संवत् 2005 में हो चुकी है, जिनकी पुत्री (अप्रार्थिया संख्या–1 मिश्री) विवाहित होकर ग्राम सेवा में रहती है। वादग्रस्त भूमि पर मिश्री का कब्जा कभी नहीं रहा। पूर्व में मिश्री द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, जो नोटप्रेस में खारिज हो चुका है।

3. मिश्री का वाद खारिज होने से पूर्व प्रतिवादीगण जयलाल आदि ने ग्राम पंचायत से नामांतरण अपने नाम स्वीकृत करवाए जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जो आदेश दिनांक 03.08.1971 के माध्यम से स्वीकार किया गया। अप्रार्थिया मिश्री ने उक्त नामांतरण आदेश के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुरसिटी व राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के समक्ष अपीलें प्रस्तुत कीं, जो खारिज हुईं। राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के अपील आदेश दिनांक 20.11.1975 के विरुद्ध मण्डल न्यायालय में मिश्री द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 20.11.1978 को स्वीकार की गई, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तक बहाल रही। वाद के विचाराधीन रहते मिश्री ने नायब तहसीलदार, गंगापुरसिटी के समक्ष उसके नाम नामांतरण स्वीकार किए जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जो आदेश दिनांक 23.08.1973 के माध्यम से स्वीकार किया गया, किन्तु राजस्व अपील अधिकारी ने जयलाल वगैरह द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए नामांतरण निरस्त कर दिया। मण्डल न्यायालय ने भी मिश्री की निगरानी दिनांक 05.07.1983 को अस्वीकार की तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी दिनांक 20.11.1994 को राजस्व मंडल के आदेश की पुष्टि की। अप्रार्थिया/प्रतिवादीया मिश्री द्वारा उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी के समक्ष प्रस्तुत बेदखली का वाद दिनांक 02.11.1998 को खारिज हो चुका है एवं प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर निरंतर काबिज चले आ रहे हैं।

4. प्रार्थीगण/वादीगण ने वाद के साथ धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादिया को वाद के दौरान विवादित भूमि का हस्तांतरण करने से रोका जाए तथा राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का पंजीयन न किया जाए। उपखंड अधिकारी, गंगापुरसिटी ने दिनांक 19.02.2003 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादीया को भूमि हस्तांतरण से निषिद्ध किया, किन्तु साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.11.1994 के अनुसरण में मिश्री को नामांतरण खुलवाने हेतु स्वतंत्र माना। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण/वादीगण ने राजस्व अपील अधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष अपील संख्या 25/2003 प्रस्तुत की, जबकि मिश्री ने अपील संख्या 49/2003 प्रस्तुत की। राजस्व अपील अधिकारी, सवाई माधोपुर ने दिनांक 07.07.2004 को प्रार्थीगण/वादीगण की अपील अस्वीकार की तथा मिश्री की अपील स्वीकार कर उपखंड अधिकारी का आदेश दिनांक 19.02.2003 निरस्त किया। राजस्व अपील अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अपील संख्या–25/2003 में पारित निर्णय दिनांक 07.07.2004 के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत निगरानी मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

5. दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का पर्याप्त आधार होते हुए भी राजस्व अपील अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी ने क्रमशः अपील व प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर अपने अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया। प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्यों, विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों एवं शपथ–पत्रों से सिद्ध कर दिया था कि वे विवादित भूमि पर पिछले 56 वर्षों से काबिज हैं। अप्रार्थीया के पिता नारायण के अधिकार उसे प्राप्त नहीं हुए तथा उसका बेदखली वाद भी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा का आधार कब्जा होना चाहिए था, न कि अप्रार्थिया का मात्र खातेदार मृतक नारायण की पुत्री होने का। बावजूद इसके प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 व अपील को अस्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिक त्रुटि कारित की है। जब अप्रार्थिया संख्या–1 मिश्री के विरुद्ध वादीगण का खातेदारी घोषणा का वाद विचाराधीन है, तब नामांतरण खोले जाने संबंधी कार्यवाही बहाल रखना अधीनस्थ न्यायालयों के लिये न्यायोचित नहीं था। नामांतरण से अप्रार्थीया को राजस्व रिकॉर्ड का लाभ मिलकर उसके द्वारा भूमि का खुद–बुर्द करने की संभावना बनी रहेगी, जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर सिटी के निर्णयों क्रमशः दिनांक 07.07.2004 व 19.02.2003 को निरस्त करने का निवेदन किया।

6. दौराने बहस अप्रार्थिया संख्या–1 के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.02.2013 एवं संपूर्ण पत्रावली/अभिलेख आदि का परिशीलन एवं प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन करने के पश्चात् ही इस निष्कर्ष पर

पहुँचा कि विवादित भूमि श्री नारायण की खातेदारी की है, जिस पर नामांतरण संबंधी आदेश अप्रार्थिया संख्या-1 मिश्री के पक्ष में पारित हो चुका है, एवं इसके फलस्वरूप ही मिश्री उक्त भूमि की विधिक रूप से हकदार है। वादीगण लल्लूराम आदि ने भूमि पर कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद में धारा 212 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर उप-जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी ने प्रतिवादी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की तथा रहन, बय एवं हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया। तथापि, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.11.1994 के आलोक में उप-जिला कलेक्टर ने यह भी आदेशित किया कि नामांतरण संबंधी कार्यवाही पर उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं होगी। साथ ही राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर ने अप्रार्थिया संख्या-1 मिश्री द्वारा वादग्रस्त भूमि के रहन, बय व हस्तांतरण पर प्रतिबंध संबंधी उप-जिला कलक्टर के निर्णय को भी निरस्त किया। राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर ने उप-जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी के उक्त आदेश को विधिसम्मत एवं माननीय उच्चतर न्यायालयों के पूर्व आदेशों के अनुरूप मानते हुए ही प्रार्थीगण/वादीगण लल्लूराम आदि द्वारा उक्त आदेश विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया, जो पूर्णतया न्यायसंगत है। ऐसी स्थिति में आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत हस्तगत निगरानी को अस्वीकार कर आलोच्य निर्णय की पुष्टि करने का निवेदन किया।

7. बहस उभयपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

8. हस्तगत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर सिटी के न्यायालय में प्रार्थीगण लल्लूराम एवं अन्य ने अप्रार्थी मुसम्मात मिश्री के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया, जिसमें उभयपक्षीय बहस सुनवाई के उपरांत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर सिटी ने दिनांक 19.02.2003 को यह आदेश पारित किया कि (पृष्ठ संख्या-13) "..........माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से गैर सायला के हक में नामांतरण का निर्णय हो चुका है, तो यह उचित रहेगा कि प्रकरण में गैर सायला के हक में नामांतरण खोलने से सायलान को कोई अपूरणीय क्षति भी नहीं होती है, लेकिन मल्टीप्लीसिटी ऑफ सूट को अवोईड करने के लिए पक्षकारों को पाबंद करना उचित रहेगा कि वे वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजियात को रहन, बय नहीं करें एवं मौके की स्थिति यथावत् रखें।

अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं गैर सायल मु. मिश्री को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह ग्राम डिबस्या की विवादित आराजियात को किसी को रहन, बह, हस्तांतरित नहीं करे तथा मौके की स्थिति यथावत् बनाए रखे। गैर सायल नंबर-2 {तहसीलदार-(भूमिधारक) गंगापुर सिटी} को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह

वादग्रस्त भूमि के खसरा नंबरों से संबंद्ध रहन, बय, हस्तांतरण संबंधी कोई दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं करे। DB CWP No. 383/1994 जयलाल आदि बनाम मु. मिश्री माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.10.1994 के संदर्भ में गैर सायला मु. मिश्री के नाम नामांतरण खोले जाने की कार्यवाही पर यह टी.आई. (अस्थायी निषेधाज्ञा) प्रभावी नहीं होगा।"

विद्वान विचारण न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 19.02.2003 के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रश्नगत लल्लूराम वगैरह द्वारा एक अपील संख्या-25/2003 तथा अप्रार्थिया मु. मिश्री द्वारा दूसरी अपील संख्या-49/2003 प्रस्तुत की गई, जिन्हें अपील न्यायालय द्वारा एक ही आदेश दिनांक 07.07.2004 के माध्यम से निर्णीत किया गया। अपील न्यायालय ने प्रार्थीगण लल्लूराम वगैरह के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं होने से विद्वान न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त कर दिया और मु. मिश्री के पक्ष में यह आदेश दिया कि वह वादग्रस्त भूमि पर हक/अधिकार रखती है। अतः भूमि के रहन, बय व हस्तांतरण पर प्रतिबंध भी उचित एवं विधिवत् प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्रार्थीगण लल्लूराम वगैरह की अपील संख्या-25/2003 को खारिज किया गया एवं अप्रार्थी मु. मिश्री की अपील संख्या-49/2003 को स्वीकार किया गया।

9. प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अपील संख्या-49/2003 में पारित निर्णय दिनांक 07.07.2004 के विरुद्ध प्रार्थीगण ने मण्डल न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी का निर्णय करने हेतु वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की रिट याचिका DB CWP No. 383/1994 जयलाल आदि बनाम मु. मिश्री एवं राजस्व मण्डल के निर्णय का अवलोकन करना आवश्यक होगा, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्णीत किया है कि :-

"The question which has arisen in the present writ petition is as to whether the respondent No. 2 i.e. Mishri is entitled to inherit the property of the deceased Khayali on the basis of the Khatedari rights of the deceased as her daughter regarding the disputed fields.

The Revenue Board has already held that the applicants have in no way any legal right of inheritence whatsoever after the death of Khayali and that by no stretch of imagiration the said lands could have been mutated in their favour.

The Revenue Board has rightly held in its order dated 6th of August, 1979 vide para 4 that if the present applicants felt that they were eligible to get the same land on any other ground, then they could have initiated such legal proceedings for declaration etc. The Mutation of the said land in the circumstances could not have been filled in any other name except Mst. Mishri.

The question of law which has been raised in the present writ petition is fully covered by sub-section (3) of section 125 of the Rajasthan Land Revenue Act, which provides as under :-

"(3) No order as to possession passed under this section shall debar any person from establishing his right to the property in any civil or revenue court having juridiction."

.........In the circumstances of the case, no ground is made out as in as much as no legal right can be decided by way of present writ Petition. It is accordingly dismissed."

10. इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में मि. मिश्री अपने पिता एवं भाई की मृत्योपरांत अपने पिता की सम्पत्ति की एक मात्र विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण वादग्रस्त भूमि पर उत्तराधिकार में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी हो गई और तदनुसार मु. मिश्री पुत्री ख्याली के नाम वादग्रस्त भूमि का नामांतरण भी दर्ज किया जा चुका था। ख्याली की विधिक वारिस होने के आधार पर मु. मिश्री के नाम नामांतरण तस्दीक हो जाने के परिणामस्वरूप वह जमाबंदी- जो कि अधिकार अभिलेख है, में भी वादग्रस्त भूमि की खातेदार के रूप में इन्द्राज कराने की उत्तराधिकारी हो गई। विधिक रूप से खातेदार को उसकी वैध खातेदारी भूमि के किसी भी तरह निस्तारण के विधिक अधिकारों से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

11. पुत्री का विवाह हो जाने के पश्चात् उसके पिता की सम्पत्ति में पुत्री को हक-अधिकार नहीं देने की परंपरा देखी गई है। शायद प्रार्थीगण इसी परंपरा से प्रेरित होकर ख्याली की पुत्री मु. मिश्री को अपने पिता ख्याली की वादग्रस्त भूमि में उसके वैध खातेदारी हक-अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। तभी तो वे मु. मिश्री के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में सन् 1971 (पचपन वर्ष) से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी सामाजिक परंपरा कानून, न्याय और माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के निर्णय से ऊपर नहीं हो सकती।

12. अनुसूचित जनजाति में भी पिता की सम्पत्ति में पुत्री को विधिक उत्तराधिकारों के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय- न्यायिक दृष्टांत CWP No. 10638/2025 एवं 2014 (2) RRT 901 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय- न्यायिक दृष्टांत सिविल अपील 4980/2017, (1996) 5 SCC/125, Writ Petition (C) No. 5723/1982, 2023 3 SCC Kamla Neti Vs LAO, SLP (C) No. 5559/2-23 अनुकरणीय है।

13. अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में मु. मिश्री के नाम वादग्रस्त भूमि का नामांतरण स्वीकृत हो जाने से एवं मु. मिश्री अपने पिता ख्याली से उत्तराधिकार में प्राप्त भूमि की खातेदारी अधिकारिणी होने से उसे उक्त भूमि के विधिपूर्वक निस्तारण के अधिकार प्राप्त हो गए।

14. उपर्युक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ अपील न्यायालय द्वारा अपील संख्या- 25/2003 में पारित निर्णय दिनांक 07.07.2004 में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होने से उक्त निर्णय की पुष्टि की जाती है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी बलहीन होने से अस्वीकार की जाती है। अंतर्निहित

शक्तियों का प्रयोग करते हुए विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के मूल दावे में उभयपक्षीय सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर तीन माह में विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

15. निर्णय सुनाया गया।

(टीकम चन्द बोहरा)
सदस्य